



सत्यमेव जयते

7918/21

Signature

Krishna Chak

INDIA NON JUDICIAL

ACC Name-KRISHNA PRAKASH GUPTA

ACC Code No.-UP14198004

ACC Address-Tehsil Campound, Deoria

Mobile No.-9112504844

Circle No.-348 Tehsil And District, Deoria


Government of Uttar Pradesh

₹ 6,000

e-Stamp

LOCKED

Certificate No. : IN-UP29139734882226J  
 Certificate Issued Date : 26-Jun-2022 08:46 PM  
 Account Reference : NEWMPACC (SV) up14198004/ DEORIA SADAN/LIP/DRA  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1419800450152414482249U  
 Purchased by : M U D S S AND O T BY M T PREMNATH SO RAMPRASAD  
 Description of Document : Article 35 Lease  
 Property Description : RAMPUR MUKUND TP PATNA PR SH TEH AND DIST DEORIA  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : M U D M M BY M PREMNATH S O RAMPRASAD  
 Second Party : M U D S S AND O T BY M T PREMNATH SO RAMPRASAD  
 Stamp Duty Paid By : M U D S S AND O T BY M T PREMNATH SO RAMPRASAD  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 6,000  
 (Six Thousand only)



7918/21

उत्तर प्रदेश

Please write in blue ink on this line

मैं जिनके नाम से यह संपत्ति का लेन देन कर रहा हूँ

मैं जिनके नाम से यह लेन देन कर रहा हूँ



मुजबूत हस्ताक्षर

Validity unknown

Digitally signed by  
PREMNATH KUSHWAHA  
Date: 2023.06.02 22:43:21  
IST

PU 0000812804

Important Note

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified at [www.upstampcertifier.in](http://www.upstampcertifier.in) using the Stamp Mobile App of State Emblem.
- Any discrepancy in the details written Certificate and as available on the website's Stamp Pad number 4 should be reported to the issuing authority.
- In case of any discrepancy please inform the concerned authority.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

UNIVERSITY OF ...

Main body of faint, illegible text, likely the content of a letter or document.



Validity unknown

Digitally signed by  
PREMNATH KUSHWAHA  
Date: 2023.05.02 22:43:21  
IST

100180006



-2-

*Amal*  
28.06.22

## लीज डीड

निष्पादन की तिथि : 28.06.2022

प्रलेख का प्रकार : पट्टा विलेख

सम्पत्ति : खाली मू-खण्ड तथा शेख भाग पर निर्मित भवन

सम्पत्ति का विवरण : रामपुर मुकुन्द तथा पटना परगना सहजगढ़पुर तहसील व जिला  
देवरिया में स्थित आ0 संख्या 93 रकबा 0.291-1/280ए0 व आ0 संख्या 94 रकबा  
0.551 हे0ए0 व आ0 संख्या 95 रकबा 0.130 हे0ए0 यानि कुल नम्बरान जिसका कुल  
जुमला रकबा 0.972-1/2 हे0ए0 यानि 9838.83 वर्गमीटर है जो अक्षयक भूमि है  
 जिसका लीज होता है।

सीहद्दी :-

पूरब स्वयं पट्टाकर्ता

पश्चिम सड़क व शेख मुकतीलाल व सुरेश

उत्तर शेख जगदीश व मुरत व कौलेस्वर

दक्षिण

महल  
बिन्दक

*प्रेमनाथ कृष्णा*

*प्रेमनाथ कृष्णा*  
 Validity unknown  
 Digitally signed by  
 PREMNATH KUSHWAHA  
 Date: 2023.06.02 22:43:21  
 IST



Validity unknown

Digital signed by  
PRANATHI KUSHWAHA  
Date: 2023.05.02 22:43:21  
IST

मुल्यमाकन : ₹ 2,68,000 /-

स्टैम्प : ₹ 6000 /-

प्रथम पक्ष (लीज डीड दाता) : श्री उर्मिला देवी महिला महाविद्यालय ग्राम रामपुर मुकुन्द, रामपुर कारखाना देवरिया द्वारा प्रबन्धक प्रेमनाथ कुशावाहा पुत्र स्व० रामप्रसाद कुशावाहा साकिन देवरिया खास तहसील व जिला देवरिया के है। (MOB NO-9839802009)

द्वितीय पक्ष (लीज डीड दाता) : श्री उर्मिला देवी सेवा संस्थान एवं धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक प्रेमनाथ कुशावाहा पुत्र स्व० रामप्रसाद कुशावाहा साकिन देवरिया खास तहसील व जिला देवरिया के है।

(MOB NO-9839802009)

चूंकि हम प्रथम पक्ष एक कित्ता भू-खण्ड व कुछ भाग पर भवन निर्माण है जो मौजा रामपुर मुकुन्द तम्पा पटना परमना शाहजहाँपुर तहसील व जिला देवरिया में स्थित है जो पूर्ण रूप से अक्षयक भूमि है जिसके काबिज मालिक है जो तमाम बावों से भाक व साफ है जिसे मुक्ति को हर तरह से मुनाकिल करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है जिसका रकबा 0.972-1/2 हे०ए० यानि 9836.83 वर्गमीटर का लीज डीड प्रथम

श्री उर्मिला देवी महिला महाविद्यालय  
प्रबन्धक  
प्रेमनाथ कुशावाहा पुत्र स्व० रामप्रसाद कुशावाहा



श्री उर्मिला देवी सेवा संस्थान एवं धर्मार्थ  
ट्रस्ट  
मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक  
प्रेमनाथ कुशावाहा पुत्र स्व० रामप्रसाद कुशावाहा

Validity unknown

Digitally signed by  
PREMNATH KUSHWAHA  
Date: 2023.05.02 22:43:21  
IST

आवेदन सं. 2022000000000077

एन सीआर सीडी प्रमाणपत्र

पृष्ठ सं. 1


एन सीआर सं. 7918

दि. 2022

विवरण - 20000 प्रमाणपत्र - 6000 वाजवी मुद्रा - 0 पंजीकरण शुल्क - 2000 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 600 घंटा - 2040

श्री श्री प्रतिनिधिकारी सेवा संगठन एवं पंजीयन दफ्तर द्वारा  
केन्द्रित कुशाग्र अभिवृत्त प्रमाणिकारी प्रतिनिधि  
पुत्र श्री श्री रामचन्द्र कुशाग्र  
पञ्जाब - लुधियाना  
निवासी - अतिरिक्त देवरिया जिला लखीमपुर खीरी जिला देवरिया

24/04/2022



श्री श्री प्रतिनिधिकारी सेवा संगठन एवं पंजीयन दफ्तर द्वारा  
केन्द्रित कुशाग्र अभिवृत्त प्रमाणिकारी प्रतिनिधि  
ने यह प्रमाणपत्र इस तारीख से दिनांक 29/06/2022  
तक 12:08:26 PM तक  
वैधता हेतु प्रेषित किया।

प्रमाणिकारी प्रतिनिधि के द्वारा

अतिरिक्त कुशाग्र सिंह  
एन सीआर सीडी  
देवरिया  
29/06/2022

अतिरिक्त कुशाग्र कुशाग्र  
प्रमाणिकारी प्रतिनिधि  
29/06/2022

दि. 2022



Validity unknown

Digitally signed by  
PREMNATH KUSHWAHA  
Date: 2023.05.02 22:43:21  
IST

पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य आज दिनांक 29.06.2022 ई0 से 28.06.2053 तक के लिये तकमील की जा रही है जिसके अवधि 31 वर्ष के लिये मान्य होगी।

1—यहकि प्रथम पक्ष द्वारा ट्रस्ट के सभी सदस्यों को बुलाकर यह बताया गया है कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि व भवन लीज डीड पर लेने के लिये तैयार है। आपसी सहमति के आधार पर सभी सदस्यों की सहमति से लीज निष्पादित की जा रही है उपरोक्त लीज के सन्दर्भ में प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य जो सौते मध्य हुई है उनकी लिपिबद्ध किया जा रहा है। ताकि सन्देह व समय पर काम आवे।

2—यह कि भारत के किसी न्यायालय में उपरोक्त भूमि के सन्दर्भ में कोई विधिक कार्यवाही लांबित नहीं है जो कि उक्त भूमि को लीज देने अथवा लेने में बाधक हो।

3—यहकि ये लीज दिनांक 29.06.2022 दिन बुधवार से 31 वर्ष हेतु अपरिवर्तनीय है।

31 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरोक्त लीज स्वतः समाप्त हो जायेगी

प्रबन्धक

श्री जमिंदारी सेवा बहिष्कार न्यायिकालय  
नया मुकुंद, एम्स, काशी, (उ.प्र.)





श्री जमिंदारी सेवा बहिष्कार न्यायिकालय

Validity unknown

Digitally signed by  
PREMNATH KUSHWAHA  
Date: 2023.06.02 22:43:21  
IST



आवेदन सं: 202200959000077

श्री सं: 1

रजिस्ट्रेशन सं: 1911


दि: 2022

विभाजन संघर्ष काट कुलने व समझने मजसुम व धान धनवर्ति व धरोकरमुक्त अका  
पदा कातः ।

श्री श्री उमिल देवी महिला महाविद्यालय के द्वारा विभाजन  
कुलवहा , पुत्र श्री स्व - रामचन्द्र कुलवहा

मिवादी: सविन देवीका धान तहसील व जिला देवरिया  
व्यवसाय: व्यापार

पदा मुनीलः ।




श्री श्री उमिलदेवी श्रील संभल लसे धरोके दस्त के द्वारा  
विभाजन कुलवहा , पुत्र श्री स्व - रामचन्द्र कुलवहा

मिवादी: सविन देवीका धान तहसील व जिला देवरिया  
व्यवसाय: व्यापार

से विभाजन स्वीकार मिया । मिवादी पक्षका

पदाकातः ।



श्री संजय श्रीलाल , पुत्र श्री सुभा

मिवादी: सविन वहा कुलुके जिला देवरिया

व्यवसाय: अका **Tankari**

पदाकातः ।



श्री दीपू जयसवाल , पुत्र श्री सन्तू जयसवाल

मिवादी: देवीका धान जिला देवरिया

व्यवसाय: अका **DEEPU**

से श्री । पदाकात काट अतिथी के मिला अन्ते विभाजनमुक्त

दि: का है ।

दिनांकः

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर



दि: का



अथवा दोनों पक्ष आपसी सहमति के आधार पर लीज को आगे की अवधि के लिए पुनः स्थापित कर सकते हैं।

4—यह कि दोनों पक्ष सम्बन्धित हस्तान्तरण एका 1882 एवं संशोधन, 2000 राजस्व संहिता 2006, एवं सभी संशोधन अथवा जो भी कानून/नियम राज्य व भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किये जायेंगे उनमें लीज हेतु निहित सभी प्रावधानों का पालन करेंगे।

5—यह कि उक्त भूमि पर लीज की तिथि से पूर्व एवं लीज के दिनांक तक किसी सरकारी गैर सरकारी अथवा व्यक्तिगत विविध देनदारियों शेष नहीं है। यह भूमि सभी प्रकार के भार एवं बंधा से मुक्त है पाक-साफ है।

6—यह कि द्वितीय पक्ष लीज संहिता को इस भूमि को किसी अन्य पक्ष को लीज पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

प्रथम पक्ष

श्री प्रेमनाथ कृष्ण कृष्ण

प्रेमनाथ कृष्ण कृष्ण



श्री प्रेमनाथ कृष्ण कृष्ण

प्रेमनाथ कृष्ण कृष्ण

Validity unknown

Digitally signed by  
PREMNATH KUSHWAHA  
Date: 2023.05.02 22:43:21  
IST

आवेदन सं०: 202200959009877

बही संख्या । जिल्द संख्या 13528 के पृष्ठ 127 से 150 तक क्रमांक  
7918 पर दिनांक 29/06/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



अभिषेक कुमार सिंह

उप निबंधक : सदर

देवरिया

29/06/2022

दिट नं०



Validity unknown

Digitally signed by  
PREMNATH KUSHWAHA  
Date: 2023.06.02 22:43:21  
IST

7—यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि पर उपलब्ध भवन अथवा निर्माण कराकर वैधानिक संस्थान, छात्रावास, अस्पताल आदि सभी सम्बन्धित संस्थाओं से मान्यता/अनुमोदन/ सम्बद्धता/पंजीकरण/ लाइसेंस प्राप्त कर संचालन कर सकेगा।

8—यह कि लीज द्वितीय पक्ष की तिथि से एवं उसके बाद लीज की अवधि में उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी विधिक टैक्स/ शुल्क जमा करने हेतु उत्तरदायी एवं बाध्य होगा।

9—यह कि प्रथम पक्ष की आवश्यकता द्वितीय पक्ष को किसी भी विधिक कार्य सरकारी एवं स्वामित के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करने की पड़ती है तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के साथ उपस्थित होकर सम्पूर्ण सहयोग्य करेगा एवं उपरोक्त कार्यवाही को पूर्ण करावेगा।

अभिषेक  
से जर्मिन देवी सिंह परिवारिक  
प्रेमनाथ कृशवाह



से जर्मिन देवी सिंह परिवारिक एवं कार्य  
प्रेमनाथ कृशवाह

Validity unknown  
Digitally signed by  
PREMNATH KUSHWAHA  
Date: 2023.05.02 22:43:21  
IST





Validity unknown

Digitally signed by  
PREMNATH KUSHWAHA  
Date: 2023.05.02 22:43:21  
IST

इस मामले प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को यह लीज डीड अपनी राजी खुशी व सही  
होश-हवाश में खुद सोच समझकर पढ़ सुनकर फटाई सहरीर कर दिया कि सनद रहे  
व समय पर काम आवे।

पंकज  
श्री उमेश देवी देव खंडान एवं पति  
पंकज कुमार  


श्री उमेश देवी देव खंडान एवं पति  
पंकज कुमार  
पुत्र श्री/जनपद

गवाह : 1 पंकज श्रीरसिया पुत्र सुवास साकिन-बडया बुजुर्ग जिला देवरिया।  
MOB NO-7607788885 Pankaj

गवाह : 2 दीपू जायसवाल पुत्र मन्नु जायसवाल साकिन देवरिया खास जिला देवरिया।  
MOB NO-7080758145 DEEPU



लेखक  
पंकज  
28.08.2023  
Validity unknown (4010)  
Digitally signed by  
PREMNATH KUSHWAHA  
Date: 2023.05.02 22:43:21  
IST  
दिनांक 28.08.2023  
मोबांन 8299489807  
साइनेस नं-24  
वैधता की अवधि 31.03.2023



Validity unknown

Digitally signed by  
PREMNATH KUSHWAHA  
Date: 2023.05.02 22:43:21  
IST